अनुदान संख्या 82 - भू-संसाधन विभाग
GRANT No. 82 - DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**			
स्वीकृत -	Voted -	2665,80,00	2617,84,81	-47,95,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			46,15,68

टीका और टिप्पणियां — ***Notes and comments***

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		Total grant	Actual expenditure	Saving
मुख्य शीर्ष "2501" ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Major Head "2501" Special Programmes for Rural Development				
मू.	O.	221100.00	243366.79	243237.13	-129.66
पु.	R.	22266.79			
मुख्य शीर्ष "2506" भूमि सुधार	Major Head "2506" Land Reforms				
मू.	O.	1200.00	674.13	630.79	-43.34
पु.	R.	– 525.87			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	26590.00	..	..	..
पु.	R.	–26590.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	17060.00		17288.70	17285.70	-3.00
पु.	R.	228.70				

(I) ₹26740.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा ; जिसमें से ₹26580.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम" -

(क) "एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम" - ₹24380.00 लाख;

(ख) "व्यावसायिक सहायता और अन्य कार्यकलाप" - ₹200.00 लाख; और

(खा) "भूमि सुधार - अन्य व्यय - राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" - ₹2000.00 लाख ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2506" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं: -

(का) "निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" - ₹337.03 लाख की बचत (₹725.00

(I) Provision of ₹26740.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these ₹26580.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Waste Land Development – National Waste Land Development Programme" -

(a) "Integrated Watershed Management Programme" - ₹24380.00 lakhs;

(b) "Professional Support and Other Activities" - ₹200.00 lakhs; and

(B) "Land Reforms - Other Expenditure - National Land Records Modernisation Programme"- ₹2000.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2506" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - National Land Records Modernisation Programme"- saving

लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय - राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" - ₹232.18 लाख की बचत (₹475.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा भूमि संबंधी अध्ययनों के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई ।

(III) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "भूमि सुधार - अन्य अनुदान - राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" - ₹1779.32 लाख की बचत (₹16750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "बंजर भूमि विकास - अन्य अनुदान - व्यावसायिक सहायता और अन्य कार्यकलाप" - ₹101.00 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा धीमी गति से व्यय किए जाने की वजह से प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹80.85 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 90 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2501" - "बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम"- ₹22242.32 लाख का अधिक व्यय (₹219410.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान" - बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम" - ₹2106.02 लाख का अधिक व्यय (₹110.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

of ₹337.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹725.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from States and Union Territories.

(B) "Other Expenditure - National Land Records Modernisation Programme" - saving of ₹232.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹475.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territories without legislature and non-finalization of proposals for Agrarian studies.

(III) Under Major Head "3601"-"Grants for Central Plan Schemes"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Land Reforms – Other Grants - National Land Records Modernisation Programme"- saving of ₹1779.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16750.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from the States.

(B) "Waste Land Development - Other Grants– Professional Support and Other Activities" - saving of ₹101.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to non-materialisation of the proposals owing to slow pace of expenditure by the State Governments.

(IV) Under one head saving of ₹80.85 lakhs occurred constituting 90 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2501" - "Waste Land Development – National Waste Land Development Programme - Integrated Watershed Management Programme" - excess of ₹22242.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹219410.00 lakhs); and

(B) Major Head "3601"- "Grants for Central Plan Schemes – Waste Land Development – National Waste Land Development Programme - Integrated Watershed Management Programme" - excess of ₹2106.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹110.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North-Eastern Region and Sikkim.